भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.
(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)
GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW
शुद्धता का संकल्प
भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)
BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53
FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

अभिरूचि की अभिव्यक्ति'

साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल शहर के तीन विपणन जोन (नया भोपाल, पुराना भोपाल एवं बीएचईएल) में साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) के वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए जाते है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते है। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 25.04.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से निरंतर
2.	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 09.05.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 09.05.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.10000/– (राशि रू. दस हजार मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में वितरक सह–परिवहनकर्ता के कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रू.1000/– की राशि का डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मे यथा वर्णित ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक मार्ग के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन लॉटरी (Computer Randamisation) पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में मूल अनुबंध को अवधि को एक–एक वर्ष की अवधि हेतु निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक ....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल शहर के तीन जोन (नया भोपाल, पुराना भोपाल एवं बीएचईएल) साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष 2024–2027।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755–2457017
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

सॉंची नीर तीन विपणन जोन (नया भोपाल, पुराना भोपाल एवं बीएचईएल) वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	09.05.2024 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
2	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	09.05.2024 अपरान्ह 3:00 बजे
3	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रू.1000/– (एक हजार रूपये मात्र)
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	प्रत्येक आवेदन के साथ रू.10,000/– (दस हजार मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो
5	आवेदन खोलने का स्थान	मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्यः–

1. प्रपत्र क्र. 01 ''आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताऐं'', प्रपत्र क्र.02 ''वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य की शर्तें'' एवं प्रपत्र क्र.03 ''वितरक सह परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन पत्र'' की एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस जोन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 09.05.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करें। वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में भोपाल शहर के तीन विपणन जोन (नया भोपाल, पुराना भोपाल एवं बीएचईएल) जोन का नाम .... में साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) के वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व)		आवेदनकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी / कंपनी की ओर से आवेदन भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व / कंपनी की ओर से आवेदन में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं आवेदन भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	आवेदनकर्त्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	आवेदनकर्त्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।		तदाशय के जी.एस.टी नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
1.4	**आवेदनकर्त्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का टर्न ओव्हर संलग्न करना अनिवार्य है।**		**तदाशय के प्रत्येक वित्तीय वर्षों में राशि रू.500000 / – (पांच लाख) या अधिक के टर्न ओव्हर की अंकेक्षित बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि पत्रक की सी.ए से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। इस प्रकार विगत पांच वित्तीय वर्षों में कुल न्यूनतम टर्न ओव्हर 25 लाख का होना अनिवार्य है।**
1.5	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।
1.6	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलीस थाने / मा.न्यायालय में कोई वाद / आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100 / – के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप अवलोकन हेतु संलग्न है।
1.7	**आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को एफ.एम.सी.जी क्षेत्र में खाद्य पदार्थो के अंतर्गत अथवा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर कार्य का वितरक / वितरक सह–परिवहनकर्ता का न्यूनतम एक वर्ष का**		**तदाशय का संस्था / कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश अथवा अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें एवं एक वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रू.100 / – के नोटराइज्ड स्टॉप पर शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ**

	अनुभव होना अनिवार्य है।		**पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है।**
1.8	उपलब्ध वाहन का प्रकार :		वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के वाहन अथवा किराए के वाहन से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (साँची नीर) का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
1.9	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को एफ.एम.सी. जी अंतर्गत खाद्य्य पदार्थों के वितरक कार्य का वैध एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.10	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि की डी.डी. / बैकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है। केवल म.प्र. राज्य के एम.एस. एम.ई उद्यमियों के लिए ई.एम.डी राशि में छूट रहेगी।		ई.एम.डी राशि रू.10000 / – (दस हजार रूपये) की डी.डी. / बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करें।
1.11	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
1.12	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के क्रय मूल्य की राशि की डी.डी. / बैंकर्स चेक के माध्यम से संलग्न करें।		तदाशय की रू.1000 / – डी.डी. / बैंकर्स चेक जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करे।
1.13	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमि एमएसएमई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एमएसएमई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :– ——————————————

पता :– ——————————————

——————————————

——————————————

मोबाईल नं.——————————————

प्रपत्र क्र.02

आवेदन की नियम व शर्ते :-

1. चयन प्रक्रिया – भोपाल शहर के तीनों ज़ोन में से किसी भी ज़ोन पर यदि केवल एक आवेदन प्राप्त होता है तो, ऐसी स्थिति में प्राप्त एक मात्र आवेदन की आवश्यक अहर्ताएं परीक्षण उपरांत सफल पाए जाने पर कार्य आवंटित किया जाएगा। यदि किसी भी ज़ोन में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में चयन कम्प्यूटर रेंडमाईजेशन के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।
2. **प्रतिभागी आवेदनकर्ता को चयन होने पर** स्वयं के वाहन अथवा किराए के वाहन से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (साँची नीर) का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर जमा ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा एवं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होने वाले समस्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति दोषी प्रतिभागी/आवेदनकर्ता से वसूली योग्य होगा।
4. **सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध संबंधी औपचाकिरताएं पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जाएगा। इस पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।**
5. **सफल आवेदनकर्ता को रू.1000/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पर अनुबंध एक माह में प्रस्तुत करना होगा।**
6. केवल म.प्र. राज्य में स्थिति एमएसएमई उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। इस हेतु आवेदक को आवेदन के साथ एमएसएमई की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किये ऐसे आवेदन अपात्र घोषित होंगे।
7. **सफल आवेदनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर वितरक सह–परिवहनकर्ता की ओर से निवेदन एवं सहमति प्राप्त होने एवं उसका कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में एक–एक वर्ष कर अधिकतम कुल 02 वर्ष हेतु अनुबंध अवधि में वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, दुग्ध संघ के हितों में संवर्धन हेतु आवेदनकर्ता/वितरक सह–परिवहनकर्ता की सहमति से मूल अनुबंध में नवीन शर्तों का भी समावेश कर सकते हैं।**
8. **सफल आवेदनकर्ता/साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता को बतौर प्रतिभूति राशि रू.50000/– (रूपये पचास हजार), आरटीजीएस अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगा एक माह में जमा/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
9. **आवेदनकर्ता को प्रतिदिन साँची नीर विक्रय राशि का अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस (ई–पेमेंट) के माध्यम से दुग्ध संघ को करना होगा। ई–पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व वितरक को संघ के कार्यालय में स्वयं के प्रचलित बैंक खाते की स्वहस्ताक्षरित धनादेश पुस्तिका, जिसके धनादेश पत्रकों में तिथि व धनराशि के स्थान को रिक्त छोड़कर इस उद्देश्य हेतु जमा करनी होगी की शासकीय अवकाश अथवा स्वयं वितरक की भोपाल में अनुपस्थिति आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में संघ द्वारा प्रदाय किए गए/किए जाने वाले साँची नीर की मूल्य राशियों को व साँची नीर प्रदाय की सुसंगत तिथियों को उक्त धनादेश में भरकर, बैंक में प्रस्तुत कर प्रदाय किए गए/किए जाने वाले साँची नीर की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सके व साँची नीर की वितरण निरंतरता निर्बाध बनी रहे। आवेदनकर्ता एवं उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि को प्रतयेक बार साँची नीर के संदाय को प्राप्त करने के पूर्व ही, उसके जमा की गई धनादेश पुस्तिका को जारी करने वाले बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगा। ताकि प्राप्त किए गए साँची नीर के मूल्य की राशि समय पर दुग्ध संघ को प्राप्त हो जाए।**
10. **साँची नीर की दर निर्धारित करने में दुग्ध संघ का पूर्णतः विशेषाधिकार रहेगा। कार्य आवंटित होने के उपरान्त आवेदक को साँची नीर संघ के डेयरी संयंत्र भोपाल से स्वयं के व्यय पर एवं अनुबंधित वाहन से उठाने होंगे एवं संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार निर्धारित समयावधि पर विक्रेताओं तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ यदि भविष्य में, वर्तमान वितरक मार्जिन में कोई परिवर्तन करता है तो वह परिवर्तन वितरक को मान्य करना होगा, अपितु वितरक पर बंधनकारी भी होगा।**

11. साँची नीर वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :–

a- रू .20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/– के मान से होगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

b- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

c- यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

d- वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

e- एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।

f- इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा तथा वसूली हेतु आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।

12. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/संघ विरोधी गतिविधियों/संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा वितरकशिप निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेंगी।

13. फुटकर विक्रेताओं से साँची नीर की राशि वसूली करना वितरक का कार्य होगा। वितरक एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार की वचनबद्धता एवं विवाद के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।

14. **संघ द्वारा वितरक को उसकी अग्रिम मांग अनुसार अग्रिम भुगतान करने पर ही साँची नीर दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, एक बार प्रदाय होने पर संघ द्वारा वापस नहीं लिये जाएगें।**

15. वितरक के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है, समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी वितरक की होगी। साथ ही वितरक को म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।

16. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं साँची नीर का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

17. सफल आवेदनकर्ता को साँची नीर के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी आशानुरूप नहीं होने पर साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य निरंतर जारी करने/समाप्त करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहीत होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छः माह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।

18. वितरक दुग्ध संघ द्वारा चाही गई जानकारियां निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में समय–समय पर प्रस्तुत करेंगे।

19. दुग्ध संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय–समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाऐंगे उनका पालन करना वितरक को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।

20. एक अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

21. वाहन में जीपीएस सिस्टम संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय वितरक को तत्काल दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।

22. कार्य आदेश जारी करने के पूर्व वाहन पर विनाइल फ्लेक्स साँची विज्ञापन वितरक को स्वयं के खर्चे पर लगवाया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी वितरक की होगी अन्यथा वितरकशिप बंद कर दी जायेगी।
23. वाहन के चालक एवं हेल्पर को संघ द्वारा निर्धारित यूनीफार्म पहनने तथा पहचान पत्र होने पर ही संयंत्र परिसर में जाने की अनुमति दी जाएगी।
24. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार–बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
25. संयंत्र से सामग्री लेने के बाद सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सामग्रियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ जांच कर लेंगे। रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुॅचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
26. **वितरक आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।**
27. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर व आव्हान करने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टाक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओ की जॉच कराएगा।
28. जरूरत पड़ने पर साँची नीर मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
29. सफल आवेदनकर्ता को आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची नीर के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट कार्य आवंटन होने के पश्चात् तीन माह की समयावधि में खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार साँची नीर वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची नीर सुगमता से उपलब्ध हो सके।
30. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
31. संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर वितरक सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा
32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की समान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है भविष्य में यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो संघ द्वारा मेरा/हमारा आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें मान्य होगी। मुझे/हमें उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे/हमारे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशो का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र क्र.03

साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता स्वयं का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो

1. आवेदक / फर्म / पार्टनरशिप / कम्पनी का नाम ....

....

2. प्रोप्राइटर का नाम ....

3. पिता का नाम ....

4. स्थाई / वर्तमान पता ....

....

....

....

5. प्रस्तावित विपणन मार्ग क्र. :— ....

(आवेदक जिस मार्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है। उस मार्ग का नंबर ऊपर लिखें)

5. दूरभाष / मोबाईल नं. ....

6. FSSAI लाइसेंस नं ....

7. जी.एस.टी नम्बर ....

8. पेन कार्ड नम्बर ....

मेरे / हमारे द्वारा साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) की वितरकशिप संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे / हमारे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र क्र.04

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .. ..यह कि मेरे/हमारे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के भोपाल शहर के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर विपणन मार्ग क्र.................. में सांची नीर (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर) के वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण/वाद दर्ज नही है।

1. गवाह
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..
2. गवाह
   नामः–...
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं..

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

प्रपत्र क्र.05

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज............... आयु.................... निवासी................................. .. यह स्वप्रमाणित करते है कि मुझे/हमें एफएमसीजी में खाद्य पदार्थो के अंतर्गत वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक कार्य का एक वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हावाश एवं इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रमाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी स्वयं की होगीं

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

प्रपत्र क्र07

साँची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) के वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य अनुबंध (भोपाल शहर विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक.................................. को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा। (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स .... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर साँची सांची नीर (पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर) वितरक सह–परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक .... के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर साँची सांची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में भी संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के दोनों ही पक्ष परस्तर सहमत हों, स्वीकार करते हैं कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति तथा पक्ष क्र.02 द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षरित कर आवेदन प्रपत्र क्र.01 एवं प्रपत्र क्र.02 में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं शर्त आदि इस लिखित अनुबंध की अंतरवस्तु के अटूट भाग होकर दोनों ही पक्षों पर समान रूप से बंधनकारी होंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् साँची नीर उत्पाद् की वितरकशिप को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। साँची नीर् वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस साँची नीर की वितरकशिप का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. साँची नीर वितरक को दुग्ध संघ के पास प्रतिभूति राशि रू.50000/– शब्दों में (पचास हजार रूपये मात्र) नगद आरटीजीएस/डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा की गई है।। दुग्ध संघ में नगद जमा की गई प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. साँची नीर वितरक द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नही होगा। .
4. साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता, दुग्ध संघ द्वारा ....**ज़ोन** पर स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिग वॉटर निर्धारित विक्रय केन्द्रों, (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर साँची नीर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
5. वितरक साँची नीर डेयरी डाक भोपाल से मांग अनुसार प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध पदार्थ व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे साँची नीर उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाऐगा।
6. साँची नीर वितरक को डेयरी डाक भोपाल से प्राप्त किये गये साँची नीर का वितरण कार्य स्वयं के वाहन अथवा किराए के वाहन से करना अनिवार्य होगा।
7. साँची नीर वितरक, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेंगा।
8. वितरक निर्धारित दर पर ही साँची नीर एजेन्ट को प्रदाय करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरक संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो संघ वितरक पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार–बार पुर्नरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त की जाएगी।
9. डेयरी परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के लिए वितरण वाहनों की साफ–सफाई संयंत्र परिसर के बाहर करेंगे। डेरी संयंत्र में ऐसा करते पाये जाने पर रू.1000/– का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
10. वितरक के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।
11. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण के कागज को फाड़कर संयंत्र में फेंक दिया जाता है, इसके कारण संघ परिसर में अनावश्यक गंदगी उत्पन्न होती है। अतः वेस्टेज सामग्री निर्धारित स्थान पर ही डस्टबिन में डाली जाए। धुम्रपान एवं गुटका खाकर या रख कर नहीं आयेगा, ऐसा करते पाये जाने पर रू.1000/– का जुर्माना लगाया जावेगा।

12. वितरक को प्रतिदिन साँची नीर विक्रय राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस (ई–पेमेंट) के माध्यम से अग्रिम करना होगा। ई–पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को साँची नीर प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व वितरक को संघ में प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित धनादेश पुस्तिका जिसके धनादेश पत्रकों में तिथि व धनराशि के स्थान को रिक्त छोड़कर इस उद्देश्य हेतु जमा करना होगी की शासकीय अवकाश अथवा स्वयं वितरक की भोपाल में अनुपस्थिति आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किए गए/किए जाने वाले साँची नीर की मूल्य राशियों को व पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर प्रदाय की सुसंगत तिथियों को उक्त धनादेश में भरकर बैंक में प्रस्तुत कर प्रदाय किए गए/किए जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सके व साँची नीर के वितरण निरंतरता निर्बाध बनी रहे। आवेदनकर्ता/साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता एवं उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि को प्रत्येक बार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के संदाय को प्राप्त करने के पूर्व ही, उसके जमा की गई धनादेश पुस्तिका को जारी करने वाले बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि प्राप्त किए गए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के मूल्य की राशि समय पर संघ को प्राप्त हो जाएगा।
13. साँची नीर वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :–
    (क) रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/– के मान से होगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।
    (ख) यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
    (ग) यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।
    (घ) वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
    (च) एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।
    (छ) इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।
14. साँची नीर वितरक को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। कार्य Compensation Act. अनुसार सभी कर्मचारियों का बीमा होना आवश्यक है, जिसकी छायाप्रति कार्य आवंटन उपरांत दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
15. साँची नीर वितरक को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
16. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व वितरण वाहन में कार्यरत लेबर को संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य साँची नीर का वितरक अपनें वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लघंन करते पाये जानें पर साँची नीर की वितरकशिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा।
17. साँची नीर वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय साँची नीर वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।

18. साँची नीर वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को साँची नीर वितरक अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आनें दें।
19. साँची नीर वितरक को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म बनवाना आवश्यक होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को पहनना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का व्यय वितरक द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।
20. संयंत्र से सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सम्पूर्ण सामग्री जांच कर प्राप्त करेंगे तथा रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुॅचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
21. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टाक, रिकार्ड, गोडाउन एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओ की जॉच कराएगा।
22. भोपाल दुग्ध संघ किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तो को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषाधिकार रखेगा जो कि वितरक पर बाध्यकारी रहेगा।
23. जरूरत पड़ने पर साँची नीर मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
24. साँची नीर वितरक साँची नीर संघ से उतने ही क्रेटस प्राप्त कर सकेगा जितने वह लेकर आयेगा। इस हेतु उसे आवश्यकतानुसार न्यूनतम 250 क्रेट्स संघ से क्रय करनी होंगी।
25. साँची नीर वितरक शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी।
26. साँची नीर वितरक पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर दुग्ध संघ की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराएगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी।
27. साँची नीर वितरक को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा एवं न ही उपठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
28. आवंटित क्षेत्र में वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं साँची नीर का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
29. यह अनुबंध तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा साँची नीर वितरक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद होने पर अनुबंध की समान शर्तो के अंतर्गत कार्य अवधि अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
30. साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता को साँची नीर के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी आशानुरूप नहीं होने पर साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य निरंतर रखने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहीत होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छः माह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
31. समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा साँची नीर वितरक को साँची नीर विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु साँची नीर वितरक बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये वितरक को पृथक करने हेतु स्वतंत्र होगा।
32. संघ द्वारा साँची नीर वितरक के मार्ग पर निर्धारित किये गये विक्रय केन्द्रों पर साँची नीर वितरक द्वारा नियमित रूप से पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश साँची नीर वितरक किसी वितरण केन्द्र पर प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में संघ

कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर प्रदाय संबंधित विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि साँची नीर वितरक द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी विक्रय केन्द्र पर साँची नीर प्रदाय बंद किया जाता है तो संघ को हुई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।

33. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल सिक्योरिटी द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार–बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
34. डेयरी परिसर के अंदर साँची नीर वितरक के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन करने पर प्रथमतः अर्थदण्ड राशि रू.1000/– वितरक से वसूला जावेंगा। पुनः वाहन चालक द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने पर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी परिसर में वाहन चालक का प्रवेश निषेध कर दिया जावेगा।
35. साँची नीर वितरक अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण वितरण बाधित होता है तो संघ को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित साँची नीर के वितरक से किया जावेगा।
36. सफल आवेदनकर्ता को आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत कार्य आवंटित होने की स्थिति में आवंटित मार्ग में स्वयं का साँची नीर के उचित भण्डारण एवं विक्रय हेतु एक एक्सक्लूज़िव आउटलेट कार्य आवंटन होने के पश्चात् तीन माह की समयावधि में खोलना अनिवार्य होगा। इस हेतु मांग अनुसार साँची नीर वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे की उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को साँची नीर सुगमता से उपलब्ध हो सके।
37. साँची नीर वितरक अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों/संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही साँची नीर वितरक को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
38. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
39. वितरक भोपाल दुग्ध संघ के अतिरिक्त किसी भी अन्य ब्राण्ड का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर वितरण/विक्रय करने से पूर्णतः निषेधित रहेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसे तत्काल बिना नोटिस दिए वितरकशिप से पृथक कर दिया जावेगा।
40. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी मार्ग अथवा क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्था, प्राइवेट संस्था, माडर्न ट्रेड के व्यवसाय जैसे वॉलमार्ट, कैटरर, मेस संचालनकर्ता, कैंटीन आदि को सीधे साँची नीर प्रदाय करने का अधिकार होगा। इस पर वितरक को किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं होगी।
41. संघ द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
42. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में आवेदक के लिए निर्धारित की गई आवेदन की नियम व शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
43. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
44. संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर आपकी सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा
45. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगाा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक................ को निष्पादित किया गया है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी..साँची नीर वितरक सह–परिवहनकर्ता .... ज़ोन अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती.. को घोषित करता/ करती हूँ।

साँची नीर वितरक के हस्ताक्षर ....

नाम...

पता..

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर ....

प्रभारी (विपणन)

भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

....

....

नाम एवं पताः—...................................

2.गवाह के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पताः—......................................

....

प्रपत्र क्र.07

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर विपणन जोन (नया भोपाल, पुराना भोपाल एवं बीएचईएल) का संक्षिप्त विवरण

क्र.	पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उत्पाद विपणन जोन	पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर उत्पाद विपणन क्षेत्र	वाहन मॉडल वर्ष एवं क्षमता
1.	नया भोपाल	ई–1, ई–2, ई–3, ई–4, ई–5 ई–6, ई–7, ई–8, शाहपुरा, त्रिलंगा, ईश्वर नगर, सिवाय, पल्लवीनगर, तिलक नगर, रोहित नगर, बावड़िया, गुलमोहर, आकृति इको सिटी, अपेक्स बैंक कॉलोनी, जानकी नगर, कम्फर्ट गार्डन, ललिता नगर, चाणक्यपुरी, अमलतास फेस–2, चूना भट्‌टी, यशोदा विहार कालोनी, अमरनाथ कालोनी, श्रीनाथ नगर, महाबली नगर, शिरडीपुरम, कान्हा कुन्ज, आशिर्वाद कालोनी, नयापुरा, दानिश कुंज, राजहर्ष कालोनी, प्रियंका नगर, सर्वधर्म कालोनी, A + B + C, सागर प्रीमियम, शिर्डीपुरम दानिश कुंज, सर्वधर्म पुल से लेकर कजलीखेड़ा तक सम्पूर्ण क्षेत्र एम.पी. नगर, जोन 1 एवं 2, रविशंकर नगर, 5 नं. बस स्टॉप, 6 नम्बर, शिवाजी नगर, माचना कालोनी, चार इमली, पंचशील नगर, भीमनगर, तुलसी नगर, सुनहरी बाग, टी.टी. नगर, साउथ टी.टी. नगर, अराधना नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, द्वारिकापुरी कालोनी, गर्वनमेंट क्वार्टर, नया बसेरा, गोमती कालोनी, शास्त्री नगर, पुलिस रेडियो कालोनी, एम.एल.ए क्वार्टर, नेहरू नगर, पुलिस लाईन, 23 बटालियन, सूरज नगर,, जवाहर चौक, भारत माता चौराहा, प्रेमपुरा, रातीबड़,, नीलबड़।	वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के वाहन अथवा किराए का वाहन से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (साँची नीर) का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
2.	पुराना भोपाल	निसांत कालोनी, सतपुड़ा, भवन, मंत्रालय, अरेरा हिल्स, मैदामिल, पत्रकार भवन, न्यू मार्केट, रंगमहल, रोशनपुरा, गौतम नगर, रचना नगर, ऑल्ड सुभाष नगर, मुरारजी नगर, अफजल कालोनी, जहांगीराबाद, बुधवारा, इस्लामपुरा, तलैया, इब्राहिमपुरा, काली बस्ती, सुल्तानिया रोड, करबला रोड, रिज़वान बाग़, कोह–ए–फिज़ा, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, एन. आर.आई. कालोनीजिन्सी, बरखेड़ी, अल्पना टाकीज़, पीरगेट, घोड़ा नक्कास, जुमेराती, शाहजहांनाबाद, इदगाह हिल्स, टीला जमालपुरा, नूर महल, स्टेट बैंक चौराहा, परी बाजार, जानकी नगर, श्यामला हिल्स, सीएम हाउस, प्रोफेसर कालोनी, कमला पार्क, हमीदिया हास्पिटल का ऐरिया, सी.आई. कॉलोनी मथाई नगर, पंचवटी कालोनी, बैरागढ़ कलां, बैरागढ़, भैंसाखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, मोचीपुरा, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, हलालपुरा बस स्टेन्ड, विजय नगर, लालघाटी, गुफा मंदिर, बैरागढ़ सम्पूर्ण क्षेत्र, चिरायु अस्पताल नादिरा बस स्टेंड, कैंची छोला, सिन्धी कालोनी, काजी केम्प, इब्राहिमगंज, डी.आई.जी., आरिफ नगर, नारियलखेड़ा, छोला, नवाब कालोनी, करोंद, जनता कालोनी, रूसल्ली, न्यू सेन्ट्रल जेल, एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर, अब्बास नगर, गोंदरमऊ, गांधी नगर न्यू बायपास, निशातपुरा, भानपुर, पिपुल्स कालेज, भोपाल मेमोरियल, लाम्बाखेड़ा, नईजेल, अशोका गार्डन, बाग दिलकुशा, बाग फरहत अफ्ज़ा, उमराव दूल्हा बाग, अशोक विहार, सम्राट कालोनी, नवीन नगर, मयूर विहार, चांदबड़, बजरिया, भोपाल स्टेशन रेल्वे पार्लर, द्वारका नगर, कोलुआ कलां, कोच फैक्ट्री, वर्धमान ग्रीन कालोनी, सुभाष कालोनी, सेमरा, करारिया, साजिदाबाद।	वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के वाहन अथवा किराए का वाहन से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (साँची नीर) का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

3.	बीएचईएल	बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, सुरेन्द्र पैलेस, अहमदपुर कलां, भेल संगम कॉलोनी, कुन्जन विहार, फेस–1, 2, दानिश नगर, ज्योति नगर, संगम कालोनी, आशाराम नगर, बागमुगालिया, कटारा हिल्स, सुरेन्द्र विहार, सेन्चुरी एन्क्लेव कालोनी, श्री रामेश्वरम, स्नेह नगर, विद्या नगर, बागसेवनिया, अरविन्द विहार, कटारा से बराई बायपास तक 9 बी साकेत नगर, 9 ए साकेत नगर, पिपलिया पैंदे खां, बरखेड़ा पठानी, एम्स केम्पस, शक्ति नगर, अल्कापुरी, हबीबगंज रेल्वे कॉलोनी, हबीबगंज रेल्वे स्टेशन रेल्वे पार्लर, 4 सी साकेत नगर, 4 बी साकेत नगर, पिपलानी, बरखेड़ा, आजाद नगर, खजूरी, अवधपुरी, अविनाश नगर, अमरावद खुर्द, कस्तूरबा हास्पिटल, हबीबगंज नाका, विजय मार्केट इण्डसट्रियल क्षेत्र, इन्द्रपुरी, सोनागिरी, रत्नागिरी, कल्पना नगर, राजीव नगर, एल.एन.सी.टी. ट्रांसपोर्ट नगर, रजत नगर, निजामुद्दीन, बिजली कालोनी, एम.पी.ई.बी. कालोनी, रूपनगर, गोविन्द गार्डन, गोविन्दपुरा, सचिदानंद नगर, लक्ष्मी नगर, मोहन नगर, प्रेस कालोनी, अयोध्या नगर, आनन्द नगर, सिद्धार्थ लेक सिटी, अयोध्या बायपास, पटेल नगर, नरेला, इण्डस पार्क, सागर एवेन्यु, इसरो कॉलोनी, एन. आर.आई. कॉलेज मिसरोद, निर्मल स्टेट, सहारा सिवाय कालोनी, इन्डस टाऊन, चिनार इन्डस फेस–2, हरिगंगा, चिनार ड्रीम सिटी, राधापुरम, कृष्णपुरम, समरधा, सम्पूर्ण मंडीदीप क्षेत्र, मण्डीदीप, महावीर नगर, इण्डसट्रियल ऐरिया, नयापुरा।	वितरक सह–परिवहनकर्ता को स्वयं के वाहन अथवा किराए का वाहन से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (साँची नीर) का परिवहन करना अनिवार्य होगा।